भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 912

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

**अखिल भारतीय न्यायिक सेवा**

**912. श्रीमती वानसुक साइम :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार निचली अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में हाल ही में सामने आए घोटालों, जिनसे लोगो का न्यायपालिका पर से विश्वास और भरोसा खत्म हो रहा है, के मद्देनज़र एकसमान भर्ती के लिए न्यायाधीशों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा वाली एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा शुरू करेगी;

(ख) क्या 116वें विधि आयोग के प्रतिवेदन में अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में पेश आ रही समस्याओं को दूर करने हेतु कई व्यावहारिक समाधान शामिल है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या रुख है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (ग) :** विधि आयोग ने अपनी 116वीं रिपोर्ट (1986) में यह प्रेक्षण किया है कि न्‍यायिक सेवा में निचले स्‍तर से ऊपर के स्‍तर तक स्‍थापित करने, प्रबंध करने, चलाने और व्‍यवहार करने के कृत्‍यों को संभालने के लिए न्‍यायिक सेवा में विशेषज्ञों से गठित निकाय स्‍थापित करने का समय आ गया है । विधि आयोग ने मामलों के निपटान में विलंब को नियंत्रित करने के लिए अधीनस्‍थ न्‍यायालयों के लिए अखिल भारतीय न्‍यायिक सेवा और उच्‍च न्‍यायालयों और उच्‍चतम न्‍यायालय में नियुक्‍तियों के लिए राष्‍ट्रीय न्‍यायिक सेवा आयोग के लिए सिफारिश की है । अखिल भारतीय न्‍यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक व्‍यापक प्रस्‍ताव सविन्‍यस्‍त किया गया था और उस पर नवंबर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है । प्रस्‍ताव पर अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्‍य मंत्रियों और उच्‍च न्‍यायालयों के मुख्‍य न्‍यायमूर्तियों के सम्‍मेलन में कार्यवृत मद के रुप में चर्चा की गई थी, जब यह विनिश्‍चित किया गया था कि मुद्दे पर और विचार तथा समीक्षा करना आवश्‍यक था । प्रस्‍ताव पर राज्‍य सरकारों और उच्‍च न्‍यायालयों से भी विचार चाहे गए हैं ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*